कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, हाथरस

पत्रांक 802 /4B दिनांक 27-04-2023

सेवामें,

जिला पूर्ति अधिकारी
हाथरस ।

विषय :– **मथुरा–सादाबाद–जलेसर–अवागढ़ मार्ग (राज्य मार्ग–122) किमी0 49 (चैनेज–48.633) पर बांयी ओर गाटा सं0– 1096 स्थित गांव सहपऊ तहसील सादाबाद जनपद हाथरस में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपारेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

संदर्भ :– **आपका पत्रांक–1261/जि0पू0अ0–पेट्रो0अनु0/2022 दिनांक– 13 दिसम्बर, 2022**

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, विषयगत रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु मुख्य अभियंता अलीगढ़ क्षेत्र लो0नि0वि0 अलीगढ़ के पत्रांक–1281/20एम–अ0क्षे0/23 दिनांक 15.04.2023 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश गाइड लाइन उ0प्र0 लो0नि0वि0 रोड्स–2022 द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमति की संस्तुति की जाती है :–

1. प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट यू0पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा–6 के अन्तर्गत जनपद हाथरस में गाटा सं0– 1096 में ग्राम सहपऊ, तह0–सादाबाद, जनपद–हाथरस मथुरा–सादाबाद–जलेसर–अवागढ़ मार्ग (एस0एच0–122) के किमी0 49 (चै0–48.633 किमी0) में बायी ओर (Left Hand Side) मार्ग के मध्य से 22.86 मी0 की दूरी के बाद स्थापित किया जायेगा।
2. बफर स्ट्रिप का निर्माण आई0आर0सी0 मानक के अनुसार कम से कम 03 मीटर चौडी एवं 12 मी0 लम्बाई में होनी चाहिए।
3. रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग में स्लैब कल्वर्ट बनायी जायेगी, जिसमें लोहे की ग्रेटिंग की ओपनिंग होगी ताकि रिटेल आउटलेट एवं पहुँच मार्गो पर आने वाला वर्षा का पानी पुलियों के द्वारा डिस्पोजल किया जा सके।
4. रिटेल आउटलेट के प्लाट का साइज कम्पनी द्वारा निर्धारित साइज के अनुसार होना चाहिए।
5. रिटेल आउटलेट पेंटेड एरिया का लेविल सड़क के पेंटेड सतह के मध्य लेविल से 0.50 मीटर नीचे होना चाहिए।
6. रिटेल आउटलेट एवं नाली का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि, आर0ओ0डब्ल्यू0 एवं बिल्डिंग लाईन के बाहर होना चाहिए।
7. नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित करने में उत्तर प्रदेश गाइड लाइन उ0प्र0लो0नि0वि0 रोड्स–2022 में दियें गये निर्देशों का अनुपालन अनिवार्यतः किया जायेगा।
8. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
9. यदि निर्माण स्थल पर न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
10. मानचित्र में दर्शाये गये प्लान से निर्माण भिन्न होने की स्थिति में एवं उल्लिखित किन्हीं भी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय तथा लोक निर्माण विभाग के समस्त निर्देशों का पालन कराना अनिवार्य होगा।

ADITYA VIKRAM SINGH
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprises)

(आलोक चन्द्र प्रजापति)
अधिशासी अभियन्ता

11. इस प्रकार की कोई भी स्थायी अथवा अस्थायी संरचना नहीं की जायेगी, जो सुलभ यातायात में बाधित हो अथवा दुर्घटना का कारण बने।
12. रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग का रख–रखाव डीलर/कम्पनी द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा।
13. रिटेल आउटलेट के स्वच्छ पीने का पानी एवं टॉयलेट की सफाई की उचित व्यवस्था एवं रख रखाव किया जाये। विभाग द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा।
14. लो0नि0वि0 के मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई, तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही उक्त कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिए किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा।
15. सर्विस रोड डीलर/कम्पनी द्वारा स्वयं के खर्चे पर बनानी होगी।
16. निर्गत अनुमति की एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाये।
17. गाइड लाइन के बिन्दु संख्या– 3.12 के अनुसार ओवदक द्वारा निम्न विवरण के अनुसार धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।

1.	कैनरा बैंक आरती सहपऊ	ड्राफ्ट संख्या–226225 दिनांक 19.05.2022	रू0 10,000=00
2.	कैनरा बैंक सहपऊ	ड्राफ्ट संख्या–153679 दिनांक 13.01.2023	रू0 20,000=00
3.	कैनरा बैंक सहपऊ	ड्राफ्ट संख्या–153682 दिनांक 02.03.2023	रू0 3,00,000=00
4.	कैनरा बैंक सहपऊ	बैंक गारंटी सं0–KR403265 दिनांक 03.03.2023	रू0 2,50,000=00

18. शासनादेश सं0–1882/23–12–19–1365/17टी.सी. लो0नि0अनुभाग–12 दिनांक 04.12.2019 एवं शासनादेश सं0–53/2022/1873/23–12–2022–1365/17टी0सी0 दिनांक 06.12.2022 द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
19. मुख्य अभियंता, अलीगढ क्षेत्र लो0नि0वि0 अलीगढ के पत्रांक 1281/20एम–अ0क्षे0/23 दिनांक 15.04.2023 के द्वारा दी गयी अनुमति में उल्लेखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा। अन्यंथा की स्थिति में दी गयी अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

यदि आवेदक उपरोक्त किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करता है, तो उपरोक्त संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्न– 1. **चैक लिस्ट दो प्रति।**
2. **मानचित्र दो प्रति**
3. **भूमि सम्बन्धी पेपर्स (दो प्रति)**
4. **मुख्य अभियंता, अलीगढ क्षेत्र लो0नि0वि0 अलीगढ़ के पत्र दिनांक 15.04.2023 की छायाप्रति।**

(राजेश निगम)
अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
हाथरस

पत्रांक / दिनांक ....
प्रतिलिपि– सहायक अभियंता प्रा0ख0 लो0नि0वि0 हाथरस को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अवर अभियंता (प्रा0), प्रा0ख0 लो0नि0वि0 हाथरस को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
हाथरस

ADITYA VIKRAM SINGH
Dy. General Manager-Retail
and Duty Constituted Attorney of
... Petroleum Corporation Ltd.
... of India ...

(डा० चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
... हाथरस
दिनांक ... 22/5/23

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
अलीगढ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ

पत्रांकः– 1281 / 20 ग –अ0क्षेत्र / 23 दिनांक 15 / 04 / 2023

सेवा मे,

अधीक्षण अभियन्ता
अलीगढ वृत्त, लो0नि0वि0,
अलीगढ

विषय– जनपद हाथरस मे मथुरा– सादाबाद– जलेसर– अवागढ मार्ग (एस0एच0–122) के कि0मी0 49 (चैनेज 49.033) पर बायी ओर गाटा स0– 1098 स्थित गाँव सहपऊ तहसील सादाबाद जनपद हाथरस मे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प), इत्यादि की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध मे।

संदर्भ– शासन के पत्रांक 53 / 2022 / 1873 / 23–12–22–1365/17पी.सी. दिनांक 06.12.2022 एवं मुख्य अभियन्ता(मु0 2), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता(सामान्य वर्ग), लो0नि0वि0 लखनऊ का पत्रांक 14197एमटी, सा.वर्ग, 60एमटी / 1000 दिनांक 08.12.2022 तथा आपका पत्रांक 285 / अ0वि0 / अ0वृ0 / 2022–23, दिनांक–06.04.2023

उपरोक्त सदर्भित शासन द्वारा गाईडलाइन के अनुसार अधिशासी अभियन्ता द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण एवं संस्तुति के आधार एवं आपके पत्र दि0 06.04.2023 द्वारा परीक्षणोपरान्त प्रस्तुत प्रकरण पर संस्तुति के क्रम मे रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो यथा प्रार्थना–पत्र, भू–अभिलेख, चेकलिस्ट एवं मानचित्र के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धो / शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

1 उ0प्र0 रोड साइड भूमि नियंत्रण अधिनियम 1945 की धारा–17(6) के अन्तर्गत अन्य जिला मार्गो पर नगर सीमा के बाहर कृषि भूमि पर मार्ग के मध्य बिन्दु से 50फिट से कम दूरी पर प्रस्तावित मार्ग की बाउन्ड्री वाल का अस्थाई निर्माण न कराये जाने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र आउटलेट स्वामी से लेने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।

2 [illegible] जैसे–जल निकासी, पीने का पानी, शौचालय आदि का निर्माण उ0प्र0 मे स्थित लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गो पर ईंधन स्टेशनो की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे नीति / मार्ग दर्शक सिद्धान्त 2022 मे निहित व्यवस्था एवं संलग्न अनुमोदित मानचित्र के अनुसार ही आवेदक को स्वयं के खर्चे पर कराना होगा एवं उसका रिकार्ड सुरक्षित रखा जायेगा एवं वेबसाइट पर समय–समय पर अपडेट किया जायेगा।

3 आउटलेट की स्थापना का निर्माण पूर्ण होने एवं मानचित्र पर अंकित शर्तो के अनुरूप होने पर अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदन हेतु पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

4 यदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशो का अनुपालन नही किया जाता है तो लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। साथ ही आवेदक को यह नोटिस दिया जाये कि वह स्वयं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशो का अनुपालन 60 दिन के अन्दर कर उसका शपथ पत्र प्रस्तुत करे अन्यथा समय सीमा समाप्त होने के उपरान्त अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु प्रमुख अभियन्ता(विकास) द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। तदोपरान्त अनुपालन सुनिश्चित न करने की दशा मे निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वयं निरस्त माना जायेगा।

5 ऑयल कम्पनी द्वारा प्रदत्त ड्राइंग के अनुसार समस्त कार्य पूर्ण कराते हुए 12माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र करने के लिए पुनः आवेदन करना होगा।

6 पेट्रोल पम्प के स्थापना के पश्चात भविष्य मे यदि मार्ग का यथावश्यक चौड़ीकरण आदि कार्य किया जाता है तो आवेदक को पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करनी होगी, जिस हेतु पुनः प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी।

7 एक्सीलरेशन, डी–एक्सीलरेशन के निर्माण मे डी–एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन (70+100 मी0) लम्बाई एवं 5.50 मी0 चौड़ाई मे पेव्ड शोल्डर के साथ निर्माण कराया जाना होगा, जिसका समस्त व्ययभार आवेदक द्वारा किया जायेगा।

8 बफर स्ट्रिप एवं सेपरेटर, आइलैण्ड का निर्माण पेट्रोल पम्प के ठीक सामने कराना होगा ताकि वाहनो के आवागमन मे कोई बाधा उत्पन्न न हो।

ADITYA VIKRAM SINGH
Dy. General Manager-Retail
and Duty Constituted Attorney of
...n Corporation Ltd.
...Enterprises)

(डा० चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस
दिनांक 22/5/2023

क्रमशः–2 पर

9. [illegible] के निर्माण में 150एम0एम0 जीएसबी, 225एम0एम0 [illegible] इसके अतिरिक्त कंक्रीट पैवमेंट ब्लाक का निर्माण और [illegible] के अनुसार कराना होगा।

10. प्रस्तावित मार्ग का [illegible] मार्ग के [illegible] सतह से 30सेमी0 नीचे रखा जाये।

11. मार्ग एवं पेट्रोल पम्प के मध्य जल निकासी हेतु 1मी0 आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण [illegible] दोनो तरफ पैरापिट, [illegible] ड्रेनेज का निर्माण कार्य आवेदक को स्वयं के खर्च पर कराना होगा।

12. भू स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु दी गयी प्रोविजनल अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

13. [illegible] कम्पनी एवं राज्य सरकार के बीच अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से [illegible] जायेगी जो कि 15 वर्षों तक मान्य होगी तदोपरान्त पुनः पूर्व की भांति ही नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

14. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प में विभिन्न सुविधाओं के ले–आउट के नियोजन में यह सुनिश्चित किया जाये कि उ0प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल नियमावली–1964 के प्रस्तर–7(ii)(Geometric Design Standards for Rural (Non-Urban) Highways) में प्राविधानित बिल्डिंग लाइन के बाहर Fuel Pump स्थापित किया जाये तथा अग्नि शमन विभाग अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सुरक्षित दूरी पर ईंधन स्टेशन का कार्यालय भवन आदि का निर्माण किया जाय।

उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों, जारी गाइडलाइन में निहित निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाये। अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

15/04/23

(एस0के0 तिवारी)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस को आपके द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षणोपरान्त दी गयी आख्या के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
संलग्न– मानचित्र 3 प्रति में।

मुख्य अभियन्ता
अलीगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0, अलीगढ़

ADITYA VIKRAM SINGH
Dy. General Manager-Retail
and Duty Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprises)

(डा0 चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस
दिनांक 15/05/23

ANNEX-II A
(To Appendix-1)

CHECK LIST-1

Check list for getting approval for installation of New Fuel Stations along SH- 122 (SADABAD - JALESAR-AWAGARH ROAD)

1.	General Information		
1.1	SH/MDR/ODR/VR	:	SH
	Name and Number	:	SADABAD-JALESAR-AWAGARH RD (SH-122)
1.2	District	:	HATHRAS
1.3	Location	:	GATA No. – 1096(Mi), VILLAGE- SAHPAU, TEHSIL-SADABAD, DISTRICT- HATHRAS(UP)
1.3.1	Chainage (in Km)	:	CH.48.6334 IN KM- 49.00 H.M. 07
1.3.2	Side of Road Left or right side towards Increasing chainage/km/direction	:	LEFT HAND SIDE
1.4	Zone of PWD	:	CHIEF ENGINEER AGRA
1.5	Division of PWD	:	EXECUTIVE ENGINEER, PROVINCIAL DIVISION, PWD- HATHRAS (UP)
1.6	Name of Oil Company	:	HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED, AGRA (A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISES) 89/4, ISPAT BHAWAN, 3rd FLOOR, SANJAY PLACE, AGRA- 282002 (UP)

ADITYA VIKRAM SINGH
Dy. General Manager-Retail
and Duty Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprises)

(डा० चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस
दिनांक 22/6/23

ANNEX-II B
(To Appendix-I)

CHECK LIST-2

Check list for getting approval for installation of New Fuel Stations along SH- 122 (SADABAD - JALESAR-AWAGARH ROAD)

B- Fuel Stations in Rural Stretches

Sr. No	Item	Measurement at Site	Norms	Whether complying with norms
1	Acceleration Lane	**100m**	Minimum 100m	Yes
2	Deceleration Lane	**70m**	Minimum70m	Yes
3	Distance of intersection with any category of road and Median Gap:			
	Plain and rolling terrain	**More than 200m**	300m(SH), 250m(MDR), 200m(ODR/VR)	Yes
	Hilly and mountainous terrain	**Not Applicable**	100m	Not Applicable
4	Any Barrier including toll plaza/Railway Level crossing	**More than 500m**	Minimum700m(SH), 600m(MDR), 500m(ODR/VR)	Yes
5	Distance from the start of the approach road of road over bridge (ROB)	**More than 200m**	Minimum 200m	Yes
6	Distance from start of grade separator/Flyover	**More than 300m**	Minimum 300m	Yes
7	Distance from nearest Fuel Station			
	(i) Undivided carriageway (for both side of carriageway)	**More than 300m**	Minimum 300m*	Yes
	(ii) Divided carriageway (with no gap in median at this location)	**Not Applicable**	Minimum 1000m*	Not Applicable
8	Provision of service/ connecting road	**Not Applicable**	Necessary at clustering of Fuel Station/Intersection with any category of road less than 300m/ 1000m	Not Applicable
	(i) Length of service road including deceleration and acceleration lane for regulating entry to/exist from proposed fuel station.	**Not Applicable**	Mention the length in meters	Not Applicable
	(ii) Whether the additional land acquisition is required beyond the available ROW (to accommodate service roads, deceleration/ acceleration lanes, etc.) by the owner of the fuel station.	**Not Required**		Not Applicable
	(iii) If yes, mention the additional L.A. required to be done by the owner of the fuel station.	**Not Applicable**	Mention area (in sqm)	Not Applicable
	(iv) Whether additional land acquisition as above beyond the available ROW (to accommodate such service roads, deceleration/ acceleration lanes, etc.)	**Not Applicable**		Not Applicable

(डा० चन्द्र प्रताप सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, हाथरस
दिनांक

ADITYA VIKRAM SINGH
Dy. General Manager-Retail
and Duty Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprises)

	has been done by the owner of the fuel station.			
	(v) If yes, whether the documentary evidence of the L.A. details are attached	Not Applicable		Not Applicable
9	Gradient of road section	2%	Maximum 5%	Yes
10	Slope of fuel station premises/ services Area for drainage purpose.	2%	Minimum 2%	Yes
11	Width of frontage of plot	36.60M	As per Oil Company norms	Yes
12	Depth of Plot	35.48M (Average Depth)	As per Oil Company norms	Yes
13	Length of Buffer Strip	12.00M	Minimum 12m	Yes
14	Width of Buffer Strip extending inside ROW	3.00M	Minimum 3m	Yes
15	Height of Kerb for buffer strip.	300MM	Minimum 275mm	Yes
16	Radius of Turning Curve	13.00M	Minimum 13m	Yes
17	Radius of Non-turning curve	1.50M	Minimum1.5m Maximum 3m	Yes
	(i)Whether additional Land acquisition is required by the side of ROW (to provide prescribed turning radius) by the owner of the fuel station	Not Required		Not Applicable
	(ii) If yes, mention the additional L.A. required to be done by the owner of the fuel station.	Not Applicable	Mention Area (Sqm)	Not Applicable
	(iii)Weather the additional land acquisition as above is required by the side of ROW (to provide prescribed turning radius) has been done by the owner of the fuel station.	Not Required		Not Applicable
	(iv)If yes, whether the documentary evidence of the L.A. details are attached	Not Applicable		Not Applicable
18	Minimum downward slope of access roads towards the fuel station.	2%	Minimum 2%	Yes
19	Difference in level between the road and fuel station and access area measured at the edge of the shoulder of the road.	390MM	Minimum 300mm	Yes
20	Provision of culvert, designed for drainage according to LATEST IRC: SP-13 (Slab culvert with iron grating)	Yes	Slab culvert with iron grating of adequate strength constructed in the approaches or any other method as per satisfaction of officer incharge so as to ensure that surface water from fuel station/facility does not flow on the highway and led away to a natural course/outfall sewer through culvert or led away to a water-recharging system specifically constructed by the owner/ management of the fuel station/facility in case lined drains of sufficient length upto a natural course/outfall sewer are not available.	Yes
21	(i) Provision of drinking water and toilet facilities along with proper display board at the entry to fuel station	Yes	As per Drawing	Yes

(डा० चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, हाथरस
दिनांक ....

ADITYA VIKRAM SINGH
Dy. General Manager Retail
and Duty Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprises)

ADITYA VIKRAM SINGH
Dy. General Manager Retail
and Duty Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprises)

	(ii) Provision of proper drainage arrangement for fuel station premises	**Yes**	As per satisfaction	Yes
22	Provision of adequate signs and markings as per the drawings.	**Yes**	As shown in the drawing	Yes

** It is certified that the Fuel station is neither in operation nor energized and construction of fuel station has not been commenced. Further, we bear full responsibility for genuineness of the site particulars mentioned above and for adherence to the stipulated norms.

It is further undertaken that fuel station shall not be energized till final NOC is granted by UPPWD.

For Hindustan Petroleum Corporation Ltd

ADITYA VIKRAM SINGH
Dy. General Manager-Retail
and Duty Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprises)

Aditya Vikram Singh
Deputy General Manager
Agra Retail Regional Office
Telephone No.................................
E-mail...............................

Note- If norms are not satisfied, detailed explanation needs to be given, otherwise the application will not be considered. In all cases supporting documents as per Annex- I have to be submitted otherwise the case will be summarily rejected.

The above particulars along with the drawings and documents have been verified and are certified as correct as per the prevailing site conditions.

The Right of way (ROW) available at proposed location from the center line of the nearest carriageway is 22.86m.

For Official use

1. We have inspected the site and all particulars filled above have been checked and verified at site.
2. The above particulars along with the drawings and documents have been verified and are certified as per the prevailing site conditions
3. The photographs of site visit showing relevant features are attached herewith.

Name and signature of JE

Name and signature of AE

I am satisfied with the field report of JE and AE. I have also examined the particulars filled in above and found the application in order and in compliance with State Govt Guidelines of setting up fuel stations along UPPWD roads. The Provisional Permission/NOC is being recommended.

ADITYA VIKRAM SINGH
Dy. General Manager-Retail
and Duty Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprises)

(डा० चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
हाथरस

अधीक्षण अभियन्ता
अलीगढ़ वृत्त लो० नि० वि०
अलीगढ़

Name and signature of EE
(Affix rubber stamp seal)

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : सहपऊ परगना : (सादाबाद) तहसील : सादाबाद जनपद : हाथरस फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1 खाता संख्या : 01573

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्थल, सडकें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो।				
आवादी / 0 / 0	49ख	1.5260	व आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी सादाबाद जनपद हाथरस वाद सं. 13/2016 अ.धारा 33/39 भू.रा. अधिनियम आदेश दिनांक 04.08.16 प्राप्त 11.08.16 श्रीमती अनीता गौतम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार- श्रीमती अनीता गौतम पत्नी सतीशचन्द्र गौतम निवासी महगरा हाल निवासी 12 सौरभ निकुंज हरीबाग कालोनी दयालबाग आगरा के नाम ग्राम सहपऊ की खतौनी सन फसली 1411 लगायत 1416 के खाता सं. 1138 के गाटा सं. 1614ग/0.061है. व गाटा सं. 2615/4.683 कुल किता 2 कुल रकवा 4.744है. जो मालकागजात में दर्ज है जिसे न्यायालय उपजिलाधिकारी सादाबाद के वाद सं. 33/2006-2007 धारा 143 ज.वि. एवं भू. व्य. अधिनियम तारीख फैसला 25.06.07 के द्वारा धारा 143 ज.वि. एवं भू. व्य. अधिनियम के प्रावधिान के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया गया है को अभिलेखीय त्रुटि के कारण वर्तमान फ० वर्ष 1423 लगायत 1428 की श्रेणी-6(2) के खाता सं. 1543 में अंकित गाटा सं. 1614ग/0.061है. व गाटा सं. 2615/4.683है. किता 2 रकवा 4.744है. को श्रेणी-6(2) से पृथक करते हुये श्रेणी 1क (भूमि जो संक्रमणीय भूमधिरों के अधिकार में हो) में अंकित करते हुये पृथक से नया खाता बिना लगानी सृजित किये जाने एवं टिप्पणी के कालम सं. 13 में अकृषिक भूमि अंकित किये जाने के आदेश भूराजस्व अधिनियम की धारा 33/39 के अन्तर्गत पारित किये जाते हैं ह.आरके 11.08.16	
	50क	0.0450		
	55ख	0.0320		
	65ख	0.0360		
	87	0.5060		
	272	0.0320		
	308	0.1300		
	504	0.0490		
	528	0.0080		
	530ग	0.0400		
	538घ	0.0730		
	539	0.0810		
	586	0.0450		
	802	0.0200		
	1024	0.1090		
	1199	0.1620		
	1429	0.0490		
	1854	0.0450		
	1930	0.2590		
	1943	0.0280		
	2500क	0.0400		

(डा० चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, हाथरस
दिनांक 22/5/23

ADITYA VIKRAM SINGH
Dy. General Manager-Retail
and Duty Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprises)

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें
Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अघतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.
NATIONAL INFORMATICS CENTRE
Digital India

	[illegible]	[illegible]
	2545	0.0450
	2549	0.0400
	2581	0.0610
	1071मि0	0.0490
	1096मि0	0.2000
	1614ग	0.0610
	2615	4.6830
	1588	0.1940
	1586	0.1940
	1587	0.1980
योग	32	10.1320

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

Digital India

ADITYA VIKRAM SINGH
Dy. General Manager-Retail
and Duty Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprises)

(डा० चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग,
दिनांक